भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2498
उत्तर देने की तारीख 16 मार्च, 2022

इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा

2498. श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि निजी कंपनियां ग्रामीण भारत में निवेश करना नहीं चाहती है जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की पहुंच बहुत खराब है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रसार का और अधिक विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है;
(घ) क्या पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई है;
(ड.) क्या सरकार की राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने की कोई योजना है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) और (ख) सरकार और लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं द्वारा वायरलेस मोबाइल और फिक्स्ड वायरलाइन कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न निजी कंपनियां अपनी व्यावसायिक कार्यनीतियों और योजनाओं के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करती हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने में गैर-अनुपातिक रिटर्न के साथ-साथ उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकताओं आदि जैसी चुनौतियां हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में छिट-पुट आबादी वाले विविध क्षेत्र में इलाके शामिल हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2022 को जारी नवीनतम "भारतीय दूरसंचार सेवा कार्यनिष्पादन संकेतक" रिपोर्टों के अनुसार सितंबर 2021 के अंत तक देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या क्रमशः 336.60 मिलियन और 497.69 मिलियन हैं।

(ग) देश में डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) डिजिटल संचार अवसंरचना के विकास को तेज करने, डिजिटल अंतर को दूर करने, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशन को सुविधाजनक बनाने तथा सभी के लिए ब्रॉडबैंड की सस्ती और सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन दिनांक 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था।

(ii) हाई स्पीड इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों में देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों के लिए भारतनेट परियोजना की परिकल्पना की गई है।

(iii) देश में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) रूपरेखा (फ्रेमवर्क) की शुरुआत की गई है।

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और द्वीपीय क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं को बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के तहत विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित की गई हैं।

(घ) लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाता देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी व्यावसायिक योजनाओं के अनुसार ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। हालांकि देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के सहयोग से विभिन्न सरकारी स्कीमें हैं, जिनके तहत पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के लिए फरवरी, 2022 तक कुल लगभग 31529 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित/वितरित की गई है।

(ङ) और (च) राजस्थान में भारतनेट परियोजना के अलावा राज्य में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड को बढ़ाने के लिए यूएसओएफ के तहत सरकार की निम्नलिखित स्कीमें हैं:

(i) राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के 354 सेवा वंचित गांवों, सीमावर्ती क्षेत्र और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान।

(ii) राजस्थान सहित चार राज्यों में आकांक्षी जिलों के 502 सेवा वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान।

*****